


कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—: संशोधन आदेश :—

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 02.07.2020 के द्वारा राज्य सरकार के पत्र क्रमांक : प. 19(03)शिक्षा-2/2019 जयपुर दिनांक 11.02.2020 की अनुपालना में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर के नियंत्रणाधीन राईस द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में निम्नांकित चयनित कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति "राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत एक वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति की अनुमति प्रदान कर, आदेश प्रसारित किये गये थे, उक्त आदेश में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है।

क्र. सं.	आदेश में क्रम संख्या	कार्मिक का नाम मय पद	वर्तमान पदस्थापन स्थान	प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन स्थान	संशोधन
1.	13	दारासिंह व्याख्याता (जीव विज्ञान)	राउमावि तुकोर, प्रतापगढ	देवनारायण राजकीय बालक आवासीय विद्यालय बालेटा, अलवर	आदेश में अंकित राउमावि तुकोर जिला-प्रतापगढ के स्थान पर राउमावि नकोर प्रतापगढ पढा जावे।

नोट:- शेष शर्तें पूर्व आदेशों के अनुसार यथावत रहेगी।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था-4/सी-8/प्रतिनियुक्ति(अन्य)/2020

दिनांक-07/07/2020

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, स्कूल शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर।
3. आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, परिषद् मुख्यालय, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, परिषद् मुख्यालय, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
6. समस्त संयुक्त निदेशक-संभाग कार्यालय।
7. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक/प्रारम्भिक)।
9. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
10. संबंधित संस्थाप्रधान/नियंत्रण अधिकारी।
11. संबंधित अधिकारी।
12. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को उक्त आदेश प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
13. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)